संख्या – 765/आठ–1–10–01विविध/2000

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश ।

3– अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 2 फरवरी 2010

विषयः ओ0टी0एस0 योजना 2002 की समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1971/आठ–1–09–01विविध/2000, दिनांक 18 जून 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से ओ0टी0एस0 योजना 2002 की समय–सीमा सभी श्रेणी के आवंटियों के लिये दिनांक 31.12.2009 तक बढ़ायी गयी थी।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0टी0एस0 योजना 2002 सभी श्रेणी के आवंटियों के लिये लागू करते हुये इसकी समय–सीमा दिनांक 31.12.2010 तक बढ़ायी जाती है । शेष शर्तें ओ0टी0एस0 योजना 2002 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.2002 एवं 30.10.2002 में निहित प्राविधानों के अनुरूप रहेंगी । कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से प्रश्नगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों/परिषद में सब–रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु ।
4– अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ।
5– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ ।
7– अपर निदेशक नियोजन आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर अपलोड करते हुये समस्त सम्बन्धितों को एवं जनमानस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एन0पी0सिंह)
अनु सचिव

chaudhary/go